राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२६०२७

संख्या-ई.स./ ५३८२ /जी.एस.
दिनांक 1/10/ २००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा०भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा

महोदय,

आपके पत्र संख्या-/ एफिल/२३२१/२००४, दिनांक १३.६.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों एवं संशोधित अधिनियम २००३ की धारा -४ के परन्तुक के अधीन आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज,अरतौनी,आगरा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी.एड.पाठ्यक्रम में सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है

१ संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

२. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लेगा एवं निरीक्षण आख्या/प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा करा लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

३. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या [illegible] /सत्तर-२- २००३-१८ [illegible] दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

४ यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो [illegible] विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए,न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
४. सचिव, आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज,अरतौनी,आगरा
५. क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,उत्तर क्षेत्रीय समिति,४६-ए,तिलक नगर,शान्ति पथ,जयपुर

प्राचार्य
आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
अरतौनी, आगरा-282007

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई.रा. 295 / जी.एस.
दिनांक 01 / 03 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

आपके पत्रांकः एफिल / ३१३२ / २००५ दिनांक ३१–०७–२००५ तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–७५६०३ / २००५ में पारित आदेश दिनांक १४–१२–२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७ (२) के अधीन आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, अरतौनी, आगरा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।

२– संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१ / सत्तर–२–२००३–१६ (६२) / २००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

३– यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,उत्तर क्षेत्रीय समिति,४६–ए, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।
४– प्रबन्धक / प्राचार्य, आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, अरतौनी, आगरा।

प्राचार्य
आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
अरतौनी, आगरा

Secretary
Agra Public T. T. College
Artoni, AGRA

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

संख्या-3351/सत्तर-2-2009-2(3)/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

लखनऊ:दिनांक: 30 सितम्बर, 2009

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धता/572/2008, दिनांक 17-12-2008, पत्रांक:सम्ब0/1273/2009, दिनांक 02-04-2009 एवं पत्रांक:सम्बद्धन/2735/09, दिनांक 29-09-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, अरतौनी, आगरा को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2008-09 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(3) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व शासनादेश दिनांक 12-07-2005 के अनुसार शिक्षकों से शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-3351(1)/सत्तर-2-2009-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बालूगंज, आगरा।
(4) सचिव/प्रबन्धक, आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, अरतौनी, आगरा।
(5) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(6) गार्ड फाइल।

प्राचार्य
आगरा पब्लिक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
अरतौनी, आगरा-[illegible]

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।